रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिंदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 27 अगस्त, 2022 ई० (भाद्रपद 5, 1944 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, खण्ड-क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड-ख–नगर पंचायत, खण्ड-ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ–जिला पंचायत।

खण्ड-घ–जिला पंचायत

29 अक्टूबर, 2021 ई0

सं0 56 / 23.03 / 2018.20–उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) की धारा 239(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत मेरठ ने जनपद मेरठ स्थित ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत मिल / कारखाना / उद्योग / दुकानात आदि नियंत्रित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से पूर्व में प्रचलित उपविधियों में संशोधन सहित नवीन उपविधियां बनायी गयी है, जिसकी मैं सुरेन्द्र सिंह, आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ उक्त अधिनियम की धारा–242 (2) के अन्तर्गत पुष्टि करता हूँ, जो शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

उपविधियां

अपर मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन, पंचायती राज विभाग, लखनऊ के आदेश संख्या–1152 / 33–2–2017–62जी / 17 दिनांक 04.04.2018 के अनुपालन में विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लईसेन्स फीस की दरों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से पूर्व में संचालित उपविधि को अतिक्रमित करते हुए निम्न प्रकार उपविधि बनायी गयी है, जो निम्न प्रकार है:–

1–ये उपविधियां जिल पंचायत, मेरठ की कारखाना, उद्योगों, दुकानात, संग्रह केन्द्र एवं अन्य व्यवसाय आदि नियन्त्रण उपविधियां कहलायेगी।

2–ये उपविधियां जनपद मेरठ के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों पर शासकीय गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी होगी।

3–इन उपविधियों के प्रभावी होने के दिनांक से इस विषय से सम्बन्धित पूर्व प्रचलित उपविधयां निरस्त हो जायेगी।

4–ये उपविधियां वर्तमान एवं भविष्य में स्थापित एवं संचालित होने वाले सभी कारखानों, उद्योगों, दुकानात संग्रह केन्द्रों एवं अन्य व्यवसायों आदि पर प्रभावी होगी तथा उन्हें नियन्त्रित एवं विनियमित करेगी।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, मेरठ

5—(1) ग्रामीण क्षेत्र का तात्पर्य उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 की (यथासंशोधित) धारा 2 (10) के अनुसार होगा।

(2) शक्ति का अर्थ वही होगा जैसा कि उ0 प्र0 कारखाना अधिनियम 1948 (यथासंशोधित) में परिभाषित है।

(3) औषधि भेषज का तात्पर्य भारतीय ड्रग्स अधिनियम 1940 की धारा 3बी में औषधि भेषज का परिभाषित है।

(4) विषद भेषज का तात्पर्य भारतीय ड्रग्स अधिनियम 1940 (यथा संशोधित) के अधीन परिभाषित विषद भेषज से है।

(5) पेट्रोलियम पदार्थ का तात्पर्य पेट्रोलियम अधिनियम 1934 (यथा संशोधित) में परिभाषित पेट्रोलियम पदार्थ से है।

(6) चीनी मिल का यही अर्थ होगा जो उ0प्र0 चीनी नियन्त्रित अधिनियम 1938 की धारा 3 के क्रमशः जे0बी0 में परिभाषित है।

(7) कारखाना उद्योग का अर्थ ऐसे अहाता अथवा तत्सम्बन्धी उसकी भूमि की पूरी सीमाओं से, जिसके किसी भाग में किसी वस्तु का उत्पादन क्रिया में साधाराणतया शक्ति का प्रयोग किया जाता है।

(8) व्यवसाय दुकानात का तात्पर्य ऐसे संस्थान से जिसके किसी भाग में अथवा जहां से किसी वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है।

(9) संग्रह केन्दों का अर्थ ऐसे अहाते, भवन तत्सम्बन्धी उनकी भूमि की पूरी सीमाओं से है जिसके किसी भाग में किसी वस्तु की संग्रह क्रिया सामान्यतः की जाती है।

(10) संस्थाओं का तात्पर्य ऐसी भूमि तथा भवन से है जिसके किसी भाग का व्यवसायिक रूप में प्रयोग किया जाता है।

(11) लाइसेंस अधिकारी का तात्पर्य अपर मुख्य अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत कार्य अधिकारी, जिला पंचायत, मेरठ से है।

(12) स्वामी के अन्तर्गत मासिक, भागीदार, निदेशक, प्रबन्धक तथा ऐसा व्यक्ति है जो कारखाना व्यवसाय दुकानात, संग्रह केन्द्र व संस्थाओं आदि की देख-रेख कर रहा है।

6—कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, पार्टनरशिप, फर्म या अन्य संस्था आदि जनपद मेरठ के ग्रामीण क्षेत्रों में तब तक कोई कारखाना, व्यवसाय, दुकान, संग्रह केन्द्र व संस्थाओं आदि की स्थापना एवं संचालन नही कर सकेगा जब तक उसके द्वारा जिला पंचायत, मेरठ से अनुज्ञा-पत्र प्राप्त न कर लिया हो।

7—अनुज्ञा-पत्र की अवधि 01 अप्रैल से आगामी 31 मार्च तक होगी। चाहे वह उक्त अवधि में कभी भी लिया जाये।

8—लाइसेंस अधिकारी की इन उपविधियों में से किसी भी धारा के आंशिक या पूर्ण उल्लंघन होने की स्थिति में अनुज्ञा-पत्र निलम्बित अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

9—लाइसेंस अधिकारी के आदेश के विरुद्ध 15 दिन के अन्दर अध्यक्ष, जिला पंचायत मेरठ को अपील की जा सकेगी, जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

10—अनुज्ञा-पत्र के लिए आवेदन-पत्र कार्यालय से निर्धारित मूल्य पर प्राप्त किया जा सकेगा।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, मेरठ

11–कारखाना, व्यवसाय, दुकानात, संग्रह केन्द्र एवं संस्थाओं के प्रारम्भिक कार्य करने के एक माह पूर्व आवेदन-पत्र कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा तथा नवीनीकरण के लिए वर्षान्त होने के कम से कम 15 दिन पूर्व आवेदन करना अनिवार्य होगा।

12–व्यवसाय चालू रहने पर अनुज्ञा-पत्र का नवीनीकरण 30 जून तक कराना अनिवार्य होगा। इसके उपरान्त 30 सितम्बर तक कराने पर लाइसेंस शुल्क का 50 प्रतिशत विलम्ब शुल्क अतिरिक्त देय होगा तदुपरान्त अनुज्ञा-पत्र प्राप्त न करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध उपविधि नं0 34 के अधीन अपराधिक मुकद्दमा दर्ज किया जा सकता है।

13–कारखाना उद्योग, व्यवसाय, दुकानात, संग्रह केन्द्र व संस्थाओं की ईकाई के मालिक/स्वामी यदि लाइसेंस अधिकारी के आदेश/निर्देशों का पालन न करें तो उनके विरुद्ध सी0आर0पी0सी0 की धारा 133 के अधीन कार्यवाही जिला प्रशासन द्वारा की जायेगी।

14–कारखाना उद्योग, व्यवसाय, दुकानात, संग्रह केन्द्र व संस्थाओं आदि के स्थल का निरीक्षण स्वास्थ्य विभाग के जिले मैं तैनात अधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी, कार्याधिकारी, कर अधिकारी या जिला पंचायत, मेरठ के किसी अधिकृत कर्मचारी द्वारा किया जायेगा तथा मालिक/स्वामी उक्त अधिकारियों का निरीक्षण में पूर्ण सहयोग देंगे।

15–कोई व्यक्ति, फर्म कम्पनी आदि कोई ऐसी सूचना नही देंगे जो असत्य हो तथा इन उपविधियों से सम्बन्धित कोई भी सूचना अपर मुख्य अधिकारी, कार्याधिकारी, कर अधिकारी या जिला पंचायत मेरठ का कोई अधिकृत कर्मचारी मांगे तो इन्कार नहीं करेगा।

16–किसी भी कारखाना उद्योग, व्यवसाय दुकान, संग्रह केन्द्र संस्था आदि में 18 वर्ष से कम आयु के बालक अथवा किसी संक्रामक या घृणास्पद रोगी को कार्य करने की अनुमति नहीं होगी।

17–उपर्युक्त सभी प्रकार की इकाई को हर समय अपने केन्द्र पर परिसर तथा उसके आस-पास लाइसेंस अधिकारी के संतोषानुकूल प्रदूषणहीन एवं स्वास्थ्य पर्यावरण बनाये रखना होगा।

18–कारखाने की चिमनी पड़ोसी की सबसे ऊँची इमारत से 20 फिट से कम ऊंचाई की नही होनी चाहिए।

19–कारखाने में शोरगुल रोकने हेतु ध्वनिरोधक यन्त्र लगाने होंगे।

20–कारखाने से निकलने वाले प्रदूषित पानी अथवा किसी गन्दे क्षोभकर अथवा हानि पदार्थ के किसी नदी, तालाब या जल सम्भरण के अन्य स्रोत या उसके किसी ऐसे निर्दिष्ट भाग में पानी पीने या स्नान करने के प्रयोजनों के उपयोग में लाया जाता हो, नही डाला जायेगा। कारखाना मालिक को प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा प्रमाणित यन्त्र लगाने अनिवार्य होंगे, जिससे स्वच्छ एवं स्वास्थ्यप्रद पानी कारखाने के बाहर निकले तथा पानी निकासी हेतु उचित व्यवस्था करनी होगी।

21–औषधि भेषजों का रखने, उनके विक्रय एवं औषधी योजन, विनियमत तत्समय संशोधित अधिनियमों के उपबन्धों के अधीन होंगे तथा नियमों, उपनियमों एवं शासनादेशों द्वारा औषधि भेषजों की नियत अवधि समाप्त होने के पश्चात् उनका विक्रय अथवा उपयोग नहीं किया जायेगा।

22–यदि कोई औषधि भेषज पदार्थ अनुपयुक्त हो तो लाइसेंस अधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी उसका अधिग्रहण कर सकता है या उसको नष्ट कर सकता है कि बिक्री के लिए प्रदर्शित या उपयोग में न लाया जा सके।

23–यदि समुचित रूप से सन्देह हो जाये किसी भेषज अपमिश्रण किया गया है अथवा नियत अवधि समाप्त हो जाने अथवा जलवायु के प्रभाव के कारण अस्वास्थ्यकर हो गया है तो लाइसेंस अधिकारी या उसके द्वारा कोई अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी उसके लिए एक रसीद देकर उसे अपने नियन्त्रण में ले सकता है और उसके मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत कर सकता है, यदि मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित हो जाये कि भेषज अस्वास्थ्यकर हो गया हो तो वह उसको नष्ट करने का आदेश दे सकता है और यदि यह प्रकट हो जाये कि उसने कोई अपराध किया है तो वह उसकी एफ0आई0आर0 दर्ज करने की कार्यवाही कर सकता है।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, मेरठ

24—बिक्री के लिए सुरक्षित वस्तुओं की अद्यतन रूप से स्वच्छ एवं उपयोगी स्थिति में रखना अनिवार्य होगा।

25—इन उपविधियों की धारा 21, 22 व 23 के अन्तर्गत तब तक कार्यवाही सम्पादित नहीं की जायेगी जब तक कि लाइसेंस अधिकारी द्वारा अनज्ञा-पत्र जारी न कर दिया गया हो।

26—कारखाना, व्यवसाय, दुकान, संग्रह केन्द्र व संस्थाओं आदि के स्वामी की एक निरीक्षण पंजिका रखनी अनिवार्य होगी, जो क्षेत्रीय कर निरीक्षक से अभिमाणित होगी तथा निरीक्षण के समय अधिकारियों/कर्मचारियों के मांगने पर उक्त पंजिका प्रस्तुत करनी होगी। जिससे निरीक्षणकर्ता अपनी निरीक्षण टीप उक्त पंजिका पर अंकित कर सकें एवं अनुज्ञा-पत्र नवीनीकरण के समय लाइसेंस अधिकारी निरीक्षण टीपों का भली-भांति अध्ययनोपरान्त ही नवीनीकरण सम्बन्धी कार्यवाही करेगा।

27—विक्रय केन्द्रों पर मूल्य सूची एवं स्टॉक सूची का बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। उक्त बोर्ड का परिमाप एक मीटर लम्बा एवं आधा मीटर चौड़ाई से कम नहीं होगा।

28—कारखाना संग्रह केन्द्रों एवं संस्थाओं आदि पर शौचालय की आवश्यकतानुसार उचित व्यवस्था करनी होगी।

29—इन उपविधियों के अन्तर्गत निर्धारित लाइसेंस शुल्क की देनदारी यदि किसी व्यक्ति पर किसी वर्ष या पूर्वगामी वर्षों का देय है तो उसकी वसूली अधिकार अधिनियम के चैप्टर 8 की धारा 147 से 160 के प्राविधानानुसार यथास्थिति की जायेगी।

30—विक्रय केन्द्रों पर बाट तथा माप विभाग से प्रमाणित माप-तौल के उपकरण रखने होंगे।

31—कूड़े अथवा खाद के गड्ढों के 50 मीटर के अन्दर कोई भी व्यवसाय, दुकान आदि नहीं खोली जायेगी।

32—जिला पंचायत, मेरठ के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित मिल कारखानों, उद्योगों, व्यवसायों, दुकानों संग्रह केन्द्रों व संस्थाओं आदि के लिए विकास आदि की सुविधाएँ मुहैया करायेंगी।

33—जिला पंचायत, मेरठ के क्षेत्रान्तर्गत चीनी मिल क्रेशर शक्ति चालित गन्ना पेरने का कोल्हू आदि की लाइसेंस अवधि 01 अक्टूबर से 30 सितम्बर तक रहेगी। लाइसेंस 01 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक नवीनीकरण न कराने की स्थिति में 01 नवम्बर से विलम्ब शुल्क, लाइसेंस शुल्क का 50 प्रतिशत देय होगा।

34—कारखानों, व्यवसाय, दुकानों, संग्रह केन्द्रों एवं संस्थाओं आदि की अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करने हेतु निम्नानुसार प्रतिवर्ष लाइसेंस शुल्क/नवीनीकरण शुल्क देय होगा:—

क्र0 सं0	मद का नाम	वर्तमान दर	[redacted] संशोधित दर
1	2	3	4
		रु0	रु0
1	चीनी मिल	20,000	50,000
2	क्रेशर हाईड्रोलिक सल्फीटेशन	5,000	4,000
3	क्रेशर नॉन हाईड्रोलिक सल्फीटेशन	5,000	4,000
4	क्रेशर नॉन हाईड्रोलिक नॉन सल्फीटेशन	2,000	2,500
5	शक्ति चलित गन्ना पेरने का कोल्हू	150	400
6	शक्ति चलित केन्द्रापग (खांड मशीन)	500	1,000

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, मेरठ

1	2	3	4
		रु0	रु0
7	शक्ति चलित केन्द्रापग (खांड मशीन)	150	200
8	उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग कर रहा क्रिस्टीलाईजर	200	300
11	धान कूटने का मिल (राइस सेलर)	6,000	2,500
12	एक्सपेलर	300	500
13	आरा मशीन	500	2,000
14	खराद मशीन	500	1,000
15	पॉवरलूम (प्रत्येक)	600	1,000
16	रेशम से कपड़ा बनाने का कारखाना	2,500	4,000
17	सरिया बनाने का कारखाना	7,000	15,000
18	लोहा बनाने का कारखाना (प्रत्येक भट्टी)	5,000	5,000
19	बर्फ बनाने का कारखाना (200 सिल्ली तक)	2,000	2,000
20	बर्फ बनाने का कारखाना (उपरोक्त से अधिक)	3,000	4,000
21	गत्ता बनाने का कारखाना (बड़ा)	5,000	7,000
22	पेपर कोन का कारखाना	3,000	4,000
23	पेपर रोल बनाने का कारखाना	3,000	8,000
24	कागज बनाने का कारखाना (10 टन क्षमता)	4,000	10,000
25	कागज बनाने का कारखाना (10 टन से 20 टन तक क्षमता)	7,000	15,000
26	कॉगज बनाने का कारखाना (20 टन से अधिक 30 टन तक क्षमता)	13,000	30,000
27	कॉगज बनाने का कारखाना (30 टन से अधिक क्षमता)	15,000	50,000
28	दूध का पाउडर या दूध से अन्य पदार्थ बनाने का कारखाना	8,000	10,000
29	चिलिंग प्लांट	5,000	8,000
30	स्टील, आयरन आदि पाईप बनाने का कारखाना 2 ईंच मोटाई तक	8,000	25,000
31	स्टील, आयरन आदि पाईप बनाने का कारखाना 2 ईंच मोटाई से अधिक	20,000	50,000
32	मशीन या यन्त्र बनाने का कारखाना	2,000	7,000
33	फल या सब्जियां एवं खाद्य पदार्थ सुरक्षित रखने का कारखाना (कोल्ड स्टोरेज 50000 बैग तक)	8,000	10,000
34	फल या सब्जियां एवं खाद्य पदार्थ सुरक्षित रखने का कारखाना (कोल्ड स्टोरेज 50000 बैग से अधिक क्षमता)	8,000	15,000
35	पिक्चर ट्यूब बनाने का कारखाना	4,000	5,000
36	हाटमिक्स प्लांट	4,000	10,000
37	रबड़ की वस्तुयें बनाने का कारखाना	2,000	2,000
38	चीनी मिट्टी के बर्तन, टाइल्स बनाने का छोटा कारखाना	1,000	2,000
39	चीनी मिट्टी के बर्तन, टाइल्स बनाने का बड़ा कारखाना	2,500	7,000
40	मसाले की ईट आदि बनाने का कारखाना (सिरेमिक्स)	5,000	8,000
41	पीतल एल्युमिनियम, स्टील, शीशे, तांबे व टीन आदि से वस्तु बनाने का कारखाना	3,000	4,000
42	वनस्पति / देसी घी व रिफाइन्ड बनाने का कारखाना	12,000	15,000
43	शराब, स्प्रिट या एल्कोहल बनाने का कारखाना	20,000	50,000
44	कृषि सम्बन्धी यन्त्र बनाने का कारखाना	2,000	4,000

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, मेरठ

1	2	3	4
		रु0	रु0
45	फर्टीलाइजर या कीटनाशक दवाई बनाने का कारखाना	4,000	10,000
46	खाण्डसारी उद्योग के यन्त्र बनाने का कारखाना	3,000	5,000
47	प्लास्टिक का दाना, फिल्म या बैग बनाने का कारखाना	2,500	4,000
48	प्लास्टिक के पाईप, टैंक आदि बनाने का कारखाना	4,000	7,000
49	बिजली के सामान बनाने का कारखाना	2,000	4,000
50	कपड़ा कंबल आदि की रंगाई/छपाई या फिनीशिंग का कारखाना (छोटा)	1,000	2,000
51	कपड़ा कंबल आदि की रंगाई/छपाई या फिनीशिंग का कारखाना (बड़ा)	3,000	8,000
52	सीमेन्ट बनाने का कारखाना	9,000	10,000
53	फ्लोर मिल	10,000	10,000
54	दाल मिल	10,000	5,000
55	रिइनफोर्स्टर्ड, सीमेन्ट व कंकरीट आदि से ह्यूमपाईप बनाने का करखाना	5,000	10,000
56	टेलीवीजन बनाने का करखाना	4,000	10,000
57	माचिस बनाने का करखाना	1,200	10,000
58	बटन बनाने का कारखाना	1,000	6,000
59	मोमबत्ती बनाने का कारखाना	1,000	3,000
60	विनियर एण्ड श0 मिल	2,000	7,000
61	पेय पदार्थ बनाने का कारखाना/ फैक्ट्री	10,000	50,000
62	मिनरल वाटर बनाने का कारखाना	5,000	15,000
63	साकिट बनाने का कारखाना	3,000	5,000
64	प्लाईवुड या माईका बनाने का कारखाना	4,000	10,000
65	दवाई बनाने का कारखाना	3,000	7,000
66	गत्ते के डिब्बे बनाने का कारखाना	1,200	3,000
67	लैमिनेशन का कारखाना	3,000	5,000
68	दूध पैकेजिंग का कारखाना	3,000	6,000
69	कैमिकल्स बनाने का कारखाना	5,000	8,000
70	डबल रोटी या बिस्कुट बनाने का कारखाना	2,500	5,000
71	गैस आदि बनाने का कारखाना	2,500	5,000
72	गैस के सिलेण्डर बनाने का कारखाना	3,000	8,000
73	वैल्डिंग्स रोड्स बनाने का कारखाना	3,000	6,000
74	पीतल की रोड्स बनाने का कारखाना	3,000	6,000
75	ढलाई करने का कारखाना	3,000	6,000
76	स्टील अलमारी, बक्से, मेज आदि बनाने का कारखाना	3,000	6,000
77	पशु आहार बनाने का कारखाना	2,500	5,000
78	धागा बनाने का कारखाना	2,500	4,000
79	धागा डबलिंग का कारखाना	3,000	7,000
80	दरी, काली आदि बनाने का कारखाना	5,000	7,000
81	साबुन बनाने का कारखाना	3,000	2,000

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, मेरठ

1	2	3	4
		रु0	रु0
82	डिटर्जेन्ट बनाने का कारखाना	4,000	7,000
83	पट्टा बनाने का कारखाना	3000	3,000
84	कमानी पट्टा बनाने का कारखाना	4,000	7,000
85	रबड़ के टायर ट्यूब बनाने का कारखाना	8,000	15,000
86	टायर रिट्रेडिंग		4,000
87	तिरपाल बनाने का कारखाना	4,000	10,000
88	आतिशबाजी सम्बन्धी बनाने का कारखाना	4,000	10,000
89	ग्रीस मोबिल ऑयल, काला तेल बनाने का कारखाना	3,000	5,000
90	चार पहिया वाहन बनाने का कारखाना	25,000	1,00,000
91	दो पहिया वाहन बनाने का कारखाना	10,000	50,000
92	तार बनाने का कारखाना	4,000	15,000
93	तार की जाली बनाने का कारखाना	1,500	3,500
94	लालटैन बनाने का कारखाना	2,500	3,000
95	रेगमाल बनाने का कारखाना	2,500	4,000
96	बैटरी बनाने का कारखाना	2,500	5,000
97	पंखा व कूलर बनाने का कारखाना	2,500	5,000
98	रंग बनाने का कारखाना	3,000	5,000
99	गम टेप बनाने का कारखाना	3,000	4,000
100	ऑटो मोटर्स बनाने का कारखाना	2,500	5,000
101	निकिल पालिस प्लेटिंग करने का कारखाना	2,500	5,000
102	रांगा बनाने का कारखाना	3,000	5,000
103	गैस चूल्हा या उसके पार्टस बनाने का कारखाना	4,000	5,000
104	हड्डी मिल	7,000	25,000
105	सरेश मिल	4,000	5,000
106	पेट्रोल पम्प (मील)	2,000	4,000
107	डीजल पम्प (मील)	2,000	5,000
108	गैस बाटलिंग प्लांट	25,000	25,000
109	सादा या काला नमक बनाने का कारखाना	1,500	2,000
110	प्रिटिंग प्रेस या आफसेट प्रेस	1,500	2,500
111	सिनेमा हॉल	3,000	4,000
112	विडियों सिनेमा हॉल	2,000	2,500
113	मुर्गा/मुर्गी दाने का कारखाना/फैक्ट्री	—	3,000
114	पैट्रोल पम्प का टैंक बनाने का कारखाना	—	10,000
115	रेडीमेन्ट गारमेन्ट का कारखाना	—	15,000
116	फोम के गद्दे बनाने का कारखाना	—	15,000
117	स्लाटर हाउस/ इंटीग्रेटेड फूड प्रोसेसिंग प्लांट	—	1,00,000
118	ट्रांसफारमर फैक्ट्री	—	20,000
119	स्टील के बर्तन बनाने का कारखाना	—	15,000
120	एयर कंडीशनर बनाने का कारखाना	—	10,000

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, मेरठ

1	2	3	4
		रु0	रु0
121	जूट, सन व नायलोन बनाने का कारखाना	—	5,000
122	शीशा बनाने का कारखाना	—	3,000
123	पीपरमिण्ट बनाने का कारखाना	—	2,000
124	चमड़ा टैनरी का कारखाना	—	25,000
125	जैविक कारखाना	—	5,000
126	स्टोन क्रेशर	—	15,000
127	आईसक्रीम बनाने का कारखाना	1,250	2,000
128	गत्ता बनाने का कारखाना (छोटा)	2,500	3,000
129	पत्थर या ईट की रोड़ी या सुर्खी बनाने का कारखाना	2,500	5,000
130	कोयले की राख से बाईप्रोडक्ट या टिक्की बनाने का कारखाना	700	1,000
131	गंधक, फिटकरी या कल्मीशोंरा बनाने का कारखाना	2,500	2,500
132	अन्य व्यवसाय, संस्थायें, गोदाम जो उपरोक्त वर्गीकरण में नही आये	5,000	7,000
133	सर्वे या ड्राईंग बनाने का कारखाना	2,000	2,000
134	उपरोक्त के अतिरिक्त कोई अन्य कारखाना (कुटीर उद्योग)	2,000	2,500
135	उपरोक्त के अतिरिक्त कोई अन्य कारखाना (लघु उद्योग)	4,000	6,000
136	उपरोक्त के अतिरिक्त कोई अन्य कारखाना (बृहत उद्योग)	10,000	30,000
137	भारी उद्योग लागत 05 करोड़ से अधिक	—	75,000
138	आटा चक्की	150	200
139	धान कूटने की मशीन	200	200
140	धान कूटने का मिनी सेलर	1,000	1,000
141	तेल निकालने का कोल्हू	200	250
142	रूई अथवा ऊन धुनने की मशीन	100	200
143	बर्मा मशीन, वैल्डिंग मशीन, रसायन मशीन, सेपर मशीन, हवा मशीन (प्रति मशीन)	200	300
144	कपड़े की दुकान	200	300
145	कपड़ा धोने की दुकान	200	300
146	परचून की दुकान	200	300
147	किराना की दुकान	300	300
148	बिसात खाने कि दुकान	200	300
149	बर्तनों की दुकान	200	300
150	हलवाई / मिठाई, खाण्ड, बूरा बतासे की दुकान	300	500
151	चाय या पान, बीड़ी, सिगरेट की दुकान	100	100
152	खाना बनाने का ढाबा	400	500
153	होटल एवं रेस्टोरेन्ट आदि	500	1,000
154	बेकरी की दुकान	300	500
155	ठण्डे पेय की दुकान	200	500
156	हेयर कटिंग की दुकान	100	200
157	ब्यूटी पार्लर	400	500
158	पुस्तक स्टेशनरी की दुकान	150	300

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, मेरठ

1	2	3	4
		रु0	रु0
159	दवाई की दुकान	250	300
160	हकीम, वैद्य, डाक्टरी की दुकान	200	500
161	नर्सिंग होम या प्रसूति गृह	500	1,000
162	जूते की दुकान	150	300
163	आढ़त की दुकान	500	500
164	अनाज खलचूरी दाने की दुकान (10 कुन्टल तक)	300	600
165	अनाज खलचूरी दाने की दुकान (10 कुन्टल से अधिक तक)	500	1,000
166	इमारती लोहे के सामान की दुकान छोटी	250	500
167	इमारती लोहे के सामान की दुकान बड़ी	500	1,000
168	स्वर्णकार/सोने चांदी के आभूषणों की दुकान	300	600
169	इमारती लगकड़ी की दुकान	300	600
170	कृषि सम्बन्धी मशीनरी की दुकान	250	500
171	सईकिल मरम्मत की दुकान	100	200
172	मशीनरी/ मिट्टी तेल या चिकनाई की दुकान	250	300
173	फोटोग्राफर/फोटो स्टूडियों की दुकान	200	500
174	सीमेन्ट या खाद की दुकान	300	500
175	कीटनाशक दवाईयों की दुकान	300	500
176	नल, टयूबवैल आदि बोरिंग करना	300	500
177	ईंजन, ट्रैक्टर आदि मशीनरी की मरम्मत	300	500
178	चटाई, मुडढे आदि बनाना व बेचना	400	500
179	बीच की दुकान	300	500
180	कोयले की डिपो	250	500
181	टेन्ट क्राकरी आदि की दुकान	500	1,000
182	फर्नीचर की दुकान	200	500
183	बैण्ड बाजा की दुकान	300	300
184	खड्डी (हस्तचालित प्रत्येक)	100	200
185	सर्विस स्टेशन अथवा वर्कशाप	1,000	1,000
186	घड़ी या रेडियो की दुकान	200	300
187	टेलीविजन बेचने की दुकान	800	1,000
188	टेलीविजन आदि मरम्मत की दुकान	300	300
189	लोहे की कतरन आदि का भण्डारन	800	1,000
190	फल सब्जी आदि की दुकान	200	200
191	कपड़ा सिलाई की दुकान	150	200
192	घी या तेल की दुकान	250	500
193	तेल या पेटी डीलर	500	500
194	लकड़ी की टाल	200	500
195	टीन के बक्से, अलमारी, सन्दूक, टंकी, कुर्सी मेज आदि की दुकान	500	1,000
196	स्कूटर मोटर साईकिल आदि की मरम्मत की दुकान	200	400
197	रेडीमेट गारमेन्ट की दुकान	200	500

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, मेरठ

1	2	3	4
		रु0	रु0
198	बांस, बल्ली, रेत, बजरपुर, रोड़ी आदि की दुकान	250	500
199	सस्ते गल्ले की दुकान	200	500
200	बिजली, मोटर, पंखे बल्ब, तार आदि समस्त बिजली सम्बन्धी सामान की दुकान	200	500
201	अण्डा आदि बेचने की दुकान	200	200
202	गैस चूल्हा पेट्रोमैक्स, स्टोव आदि बेचने या मरम्मत की दुकान	300	200
203	चूडियों की दुकान	200	400
204	चश्मों की दुकान	200	500
205	दूध कार्य / क्रीम निकालना / दूध से पनीर बनाना एवं दुध की छोटी डेयरी	150	500
206	दूध की डेयरी बड़ी	1,000	2,500
207	मावा बनाने की भट्टी / दुकान	300	500
208	गैस सर्विस या गैस गोदाम	4,000	2,000
209	फर्शी कांटा या धर्म कांटा	400	800
210	कमीशन ऐजेन्ट या ट्रांसपोर्ट ऐजेन्ट	1,000	2,000
211	स्कूटर, मोटरसाईकिल मोपेड एजेन्सी	2,000	4,000
212	कार, ट्रैक्टर, थ्री व्हीलर एजेन्सी	3,000	5,000
213	बस, ट्रक आदि की बॉडी बनाना	1,000	2,000
214	लोहे के गेट, जॉली या ग्रील बनाना	500	1,000
215	अंग्रेजी, देशी शराब की दुकान	2,500	5,000
216	बीयर की दुकान	2,000	3,000
217	अफीम, गांजा, भांग ताड़ी, डोडे पोस्त की दुकान	500	1,000
218	बैंकिट हॉल, लॉजिंग हॉल	3,000	6,000
219	भूसा या चारे की दुकान	500	500
220	सार्वजनिक नर्सरी	500	500
221	मूर्गी फार्म / सूअर फार्म	500	1,000
222	सीमेन्ट, कंकरीट की जाली, पिलर आदि बनाना	500	1,000
223	तकनीकी स्तर की शैक्षणिक संस्थायें	—	7,000
224	कक्षा-8 से कक्षा-12 तक के स्तर की निजी शैक्षणिक संस्थायें	—	5,000
225	नर्सरी से कक्षा-8 तक की निजी शैक्षणिक संस्थायें	—	2,000
226	उपरोक्त के अतिरिक्त कोई व्यसाय या छोटी दुकान	400	500
227	उपरोक्त के अतिरिक्त कोई व्यसाय या बड़ी दुकान	1,000	2,000

दण्ड

जिला पंचायत मेरठ उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम–1961 की धारा–240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा वह अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो अंकन रू0 5000.00 (पांच हजार) तक होगा, और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्डित होगा जो प्रथम दृष्टया दोष सिद्ध हो जाये कि उनमें अपराधी अपराध करता रहा है, उस पर रू0 100.00 प्रतिदिन तक अर्थ दण्ड हो सकेगा अथवा अर्थ दण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास से दण्डित किया जायेगा जो तीन मास तक हो सकेगा।

सुरेन्द्र सिंह,
आयुक्त,
मेरठ मण्डल, मेरठ।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, मेरठ

पी0एस0यू0पी0–22 हिन्दी गजट–भाग 3–2022 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

प्रेषक,

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, मेरठ।

सेवा में,

उप निदेशक,
जिला पंचायत, अनुश्रवण कोष्ठक
पंचायती राज विभाग
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

पत्रांकः–1997/जि0पं0मेरठ/2024–25 दिनांकः–11-12-2024

महोदय,

कृपया शासन द्वारा समस्त जिला पंचायतों से उनके यहाँ लागू/प्रभावी लाईसेंस उपविधियों की सत्याति सूची चाही गयी है।

अतः उक्त क्रम में जिला पंचायत, मेरठ में लागू/प्रभारी लाईसेंस उपविधियों की सत्यापित सूची प्रेषित की जा रही है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(भारती धामा)
अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, मेरठ।